

संख्या-45/6/2008-पीएण्डपीडब्ल्यू(एफ)
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110 003.
दिनांक: 16-५- 2009.

कार्यालय जापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन - केन्द्रीय सिविल सेवाएं (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 का संशोधन - सतत परिचर भत्ता।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 5.1.44 में इसकी सिफारिशों पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 2.9.2008 के का.जा. सं. 38/37/2008-पीएण्डपीडब्ल्यू(ए) द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि:

“ऐसे पेंशनभोगियों, जो 100 प्रतिशत अशक्तता (जहां व्यक्ति दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए पूर्णतः किसी अन्य पर निर्भर रहता है) के लिए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अंतर्गत अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो गए, के मामले में, रक्षा बलों में विद्यमान परम्परा के अनुरूप अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त 3000/- रुपये प्रतिमाह का एक सतत परिचर भत्ता दिया जाएगा।”

2. तदनुसार, सतत परिचर भत्ता का भुगतान नीचे दिए गए प्रावधानों द्वारा शासित होगा:-

- (i) सतत परिचर भत्ता ऐसे मामलों में लागू होगा जहां अशक्तता, जिसके लिए सतत परिचर्या भत्ता देय है, को सेवा के फलस्वरूप ऐसा होना या उसे और अधिक गम्भीर माना जा सकता हो।
- (ii) सतत परिचर भत्ता ऐसे सरकारी सेवक को दिया जाए जिसे 100 प्रतिशत असमर्थता के लिए अशक्तता पेंशन प्रदान की जाती है, चिकित्सा बोर्ड की राय में यदि उसे कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए एक सतत परिचर की सेवाओं की आवश्यकता हो तथा उसे स्वीकार्य अशक्तता या अशक्तताओं की स्थिति से एकमात्र आवश्यकता होती हो।

- (iii) सतत परिचर भत्ता उस अवधि के लिए देय नहीं होगा जिस दौरान पेंशनभोगी किसी सरकारी संस्था या अस्पताल का निवासी या अंतरंग रोगी रहा हो ।
- (iv) सतत परिचर भत्ता का भुगतान अशक्तता पेंशन सहित किया जाएगा । भुगतान, अनुबंध में उस घोषणा के आधार पर किया जाएगा जो पेंशन संवितरण प्राधिकारी को प्रतिवर्ष मई और नवम्बर में प्रस्तुत की जाएगी ।

3. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं ।

4. ये आदेश वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के यू.ओ. सं. 7.32/10/2009-आई से दिनांक 23 फरवरी, 2009 द्वारा उनके अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं ।

5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्मिकों के लिए लागू करने के सम्बन्ध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

6. कृषि मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि वे इन आदेशों की विषयवस्तु को आपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभागों के अध्यक्षों, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, लेखा नियंत्रकों, भुगतान व लेखा अधिकारियों इत्यादि के ध्यान में ला दें ।



(एम.पी. सिंह)
निदेशक
दूरभाष: 24624802

सेवा में,

मानक सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि: मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, सीएडएजी, यू.पी.एस.सी. इत्यादि ।

सरकारी सेवक द्वारा अपनी अशक्तता पेशन सहित सतत परिचर्चा भत्ता लेने हेतु घोषणा

1. पीपीओ नं.
2. सरकारी सेवक/पेशनभोगी का नाम
- 3.(क) पद
- 3.(ख) ग्रेड
- 3.(ग) अंतिम धारित रैंक
4. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का नाम जिससे वह भारत सरकार के अधीन सेवानिवृत्त हुआ/हुई
5. सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान/वेतन बैंड और ग्रेड वेतन
6. अंतिम आहरित वेतन
7. जन्म-तिथि
8. सतत परिचर्चा भत्ता की दर
9. अंतिम आहरित भत्ता लेने के बाद किसी सरकारी अस्पताल या संस्था के एक निवासी या अंतरंग रोगी के रूप में बिताई गई अवधि का ब्यौरा
 - (क) अस्पताल/संस्था में प्रवेश की तारीख
 - (ख) अस्पताल/संस्था से छुट्टी की तारीख
10. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त वर्णित पेशनभोगी हूँ, कि इस प्रपत्र में दिए गए विवरण सही हैं तथा यह कि से तक की अवधि जिसके लिए मैं अब सतत परिचर्चा भत्ता का दावा करता हूँ,
 - (क) मैं किसी सरकारी अस्पताल/संस्था का निवासी का अंतरंग रोगी नहीं था ।
 - (ख) मैंने अपनी देखभाल के लिए एक भुगतान शुदा परिचर के रूप में श्री पुत्र श्री को वास्तव में नियोजित किया है क्योंकि अशक्तता/अशक्तताओं, जिनके लिए मैं अशक्तता का पेशन आहरित कर रहा हूँ, के कारण यह परिचर्चा अनिवार्य है ।
 - (ग) श्री; का किसी भी तरह से मेरा सम्बन्ध नहीं है ।

स्थान:

तारीख:

(पेशनभोगी के हस्ताक्षर)

पूरा पता

जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त घोषणा सही है ।

स्थान

तारीख

(एक जिम्मेदार अधिकारी या सुपरिचित व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम और पदनाम